

4- शहरी स्व-सहायता कार्यक्रम (आवर्ती निधि):- पूर्व में थ्रिप्ट एण्ड क्रेडिट का नाम संचालित इस योजना में रू0 2000.00 (अधिकतम) प्रति सदस्या की दर से रू0 25000.00 का अनुदान आवर्ती कोष के रूप में समूह को उपलब्ध कराया जायेगा।